वार्षिक योजना सन २०२४-२५ प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२४-२५ करीता माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.४१/फ-११

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक:- १ ऑक्टोबर, २०२४

<u>वाचाः</u>:-

- १.सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज-२०२०/प्र.क्र.३३/का-३४, दिनांक १६.०३.२०२०
- २.सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज-२०१८/प्र.क्र.२३९/का-३४, दिनांक २६.०३.२०२०
- ३.सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, दिनांक १३.०८.२०२१
- ४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२२/प्र.क्र.१२९/कार्या-३४, दिनांक ३१.०१.२०२३
- ५.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क. ८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४
- ६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी /नबाप्र/प्र.क्र.३३/५३५/२०२४-२५, दिनांक ३०.०८.२०२४

प्रस्तावना:-

जागतिक तापमानातील बदल (Global Warming), हवामानातील बदल (Climate change), पर्यावरणीय बदल (Environmental change) याबाबत तसेच वन, वन्यजीव, जैव विविधता यांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन आणि वनक्षेत्र व वनाच्छादन वाढविणे इ. बाबींची जनजागृती करुन लोकांमध्ये विचार मंथन घडवून आणणे व जनतेला पर्यावरण पुरक उपाययोजनांमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. त्याकरीता वन विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामाध्यमातून वन, वन्यप्राणी, जैवविविधता, पर्यावरण आणि वृक्षाच्छादन यासंदर्भात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीया, बस/रेल्वे इ. सार्वजनिक वाहतुकीची साधने, आणि सार्वजनिक जागा याठिकाणी जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी करणे, चित्रफिती, लहान स्वरुपातील चित्रपट, लेख, भित्तीचित्रे, छोट्या पुस्तिका याव्दारे मोठ्याप्रमाणावर जनजागृती करण्यात येते. शासनाच्या विविध वेबसाईट आणि सोशल मिडीया यावर वन आणि पर्यावरणासंबंधित महत्तवपूर्ण कामांची/योजनांची/निर्णयांची माहिती,

वन, वन्य प्राण्यांचे व वनक्षेत्र वाढविण्याचे महत्व जनतेसमोर ठळकरित्या आणण्याचे देखिल शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुषंगाने प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासनास सादर केलेल्या सन २०२४-२५ या वर्षाच्या चालू बाब प्रस्ताव माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांकरीता सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२४-२५ च्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथे नमूद दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यातील प्रसिद्धी वर्तमानपत्रामधून DGIPR च्या दराने व उर्वरीत अन्य सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे DAVP च्या दराने सर्व शासकीय संदेशाचे प्रसिध्दी व प्रसारण विभागामार्फत व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिध्दी करावयाचा पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:-

| | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत करावयाची प्रसिद्धी | | | | | | | | | |
|------|---|------------------------|------------------|------|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|
| | तक्ता अ : क्रिएटिव्ह निर्मिती | | | | | | | | | |
| अक्र | माध्यम | तपशील | रक्कम (प्रती नग) | सं | एकूण खर्च (रु.) | जीएसटी | एकूण अंदाजित | | | |
| | | | | ख्या | | | रक्कम (सर्व | | | |
| | | | | | | | करांसहित) | | | |
| 9 | प्रिंट क्रिएटिव्ह निर्मिती व | प्रिंट आणि इतर बाह्य | 90,000 | २० | 200000 | 38,000 | २३६,००० | | | |
| | आवश्यकतेनुसार अडॅप्टेशन | माध्यमांकरिता | | | | | | | | |
| 7 | टिव्हीसी सेलिब्रिटीसह निर्मिती | विविध | २०,००,००० | 90 | 3,80,00,000 | ६१,२०,००० | ४,०१,२०,००० | | | |
| | | योजना/उपक्रम | | | | | | | | |
| | | यांच्या प्रसिद्धिकरिता | | | | | | | | |
| | | ४५ ते ६० सेंकद | | | | | | | | |
| 3 | ऑडिओ जिंगल्स आणि स्पॉट | विविध | 84,000 | 94 | ६,७५,००० | 9,29,400 | ७,९६,५०० | | | |
| | निर्मिती | योजना/उपक्रम | | | | | | | | |
| | | यांच्या प्रसिद्धिकरिता | | | | | | | | |
| | | ४५ ते ६० सेकंदची | | | | | | | | |
| | | जिंगल | | | | | | | | |

शासन निर्णय क्रमांकः **साववि-२०२४/प्र.क्र.४१/फ-११**

| 8 | लघुपट/माहितीपट निर्मिती | | सीएसआर/यशोगाथा /योजना/उपक्रम आदीच्या | ९,७५,००० | 30 | २,९ | २,५०,००० | ५२,६५,००० | ३,४५,१५,००० |
|------------|--|-----------------------------|---|--|--|--|------------------|-------------|--|
| | | | प्रसिध्दीकरिता ४ ते १५ मिनिटे | | | | | | |
| ч | व्याघ्र प्रकल्पांवर माहितीपट निर्मिती नामवंत कलाकारांसोबत | | ५४ते १५ मिनिट | २०,००,००० | 90 | २,००,००,००० | | 3६,००,००० | २,३६,००,००० |
| | | | , | एकूण (तक्ता क्रमांक | 5- अ) | ८,४१,२५,००० | | 9,49,82,400 | ९,९२,६७,५०० |
| | तक्ता– ब | | | | | | | | |
| अ. क्र. | माध्यम | | तपशील | दर | ता/व | वारि गाला धी | एकूण खर (रु.) | र्घ जीएसटी | एकूण अंदाजित रक्कम (सर्व करांसहित) |
| 9 | दैनिक | दोन मराठी | विरील अ, ब संवर्गातील व दोन इंग्रजी दैनिकात ोत जाहिरात प्रसिद्धी | शा.मा.दर | रक कम् | नूद मेत गल हेत | 40,00,00 | 2,40,000 | ५२,५०,००० |
| 7 | आकाशवाणी | | ोच्या मुंबई आणि पुणे ऑडिओ जिंगलचे | आकाशवाणी | रक एव दिव जार जा वेळे | स्त इस, ० | 20,00,0 0 | 3,50,000 | २३,६०,००० |
| 3 | महाराष्ट्रातील बस स्थानकावरील ऑडिओ जिंगल प्रसिद्धी | ऑडिओ जि | गल प्रसिद्धी | सीबीसी (डीएव्हीपी) | दिव नम् रक | ॰ इस, तूद मेत गल | 40,00,00 | 9,00,000 | ५९,००,००० |
| 8 | स्थानिक लोकल केबल | स्थानिक ले राज्यात प्ररि | ाकल केबलद्वारे संपूर्ण नद्धी | विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून कार्यवाही करण्यात येईल. | दिव मू रक जार जार प्रसा | ॰ स,न द मेत तीत स्त रणा | २,००,००,० | 36,00,000 | २,३६,००,००० |
| Ч | समाज माध्यमे तथा डिजीटल माध्यमे द्वारे प्रसिद्धी | वेबसाइट (बॅ ऍड, कू आणि | टर, गुगल ऍडस, न्यूज नर ऍड), झीरो स्क्रिन ण इतर समाज निर्मिती आणि प्रसिद्धी | पॅनल अंतर्गत विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून कार्यवाही | रक ३ दिव च कात | नूद मेत ० इसां या लाव ति | २,००,००,० | 3€,00,000 | २,३६,००,००० |

| | यप्राणी | वन्यप्राणी जनजागृतीपर फोम शिट | पॅनल अंतर्गत | नमूद | २५,००,००० | ४,५०,००० | २९,५०,००० |
|--------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| ६ वन्य | नजागृतीपर फोम | पुरविणे कन्टेन्ट तयार करणे, टॅग | विहित प्रक्रियेचा | रकमेत | , ,, | -,,, | ,, , |
| | ट पुरविणे | लाईन देणे, डिझायनिंग, व्हिनाईल | अवलंब करून | 30 | | | |
| | | फोम शिट लॅमिनेशन सह | कार्यवाही | दिवसां | | | |
| | | | | च्या | | | |
| | | | | कालाव | | | |
| | | | | धीत | | | |
| ७ विम | नानतळावरील | नागपूर, दिल्ली, मुंबई इ. | सीबीसी | 30 | २,००,००,००० | 3६,००,००० | २,३६,००,००० |
| प्रसि | सद्धी | विमानतळावरील एलईडी डिस्प्ले | (डीएव्हीपी) | दिवस, | | | |
| | | स्टँडीजद्वारे प्रसिद्धी | | नमूद | | | |
| | | | | रकमेत | | | |
| | | | | कमाल | | | |
| | | | | डिस्प्ले/ | | | |
| | | | | स्टँडीज | | | |
| | | | | द्वारे | | | |
| | | | | प्रसिद्धी | | | |
| ८ बस | । क्यू शेल्टर | नागपूर व मुंबई बस क्यू शेल्टर | सीबीसी | 30 | 9,00,00,000 | 9८,००,००० | 9,9८,००,००० |
| | | (लिट) नागपूर- ५० आणि मुंबई २०० | (डीएव्हीपी) | दिवस, | | | |
| | | | | नमूद | | | |
| | | | | रकमेत | | | |
| | | | | कमाल | | | |
| | | | | बस | | | |
| | | | | क्यू | | | |
| | | | | शेल्टरव | | | |
| | | | | र | | | |
| _ | गे पीएमपीएमएल | पुणे पीएमपीएमएल बस शेल्टर्स | सीबीसी | 30 | 9,00,00,000 | 9८,००,००० | 9,9८,००,००० |
| बस | । शेल्टर्स | (बस शेल्टर्स प्रसिद्धी) | (डीएव्हीपी) | दिवस, | | | |
| | | | | नमूद | | | |
| | | | | रकमेत | | | |
| | | | | कमाल | | | |
| | | | | लिट बस | | | |
| | | | | शेल्टर्स | | | |
| | बई शहरातील | मुंबई शहरातील बेस्ट बस रॅप पूर्ण | सीबीसी | 30 | 9,00,00,000 | 9८,००,००० | 9,9८,००,००० |
| बेस्ट | ट बस | | (डीएव्हीपी) | दिवस, | | | |
| | | | | नमूद | | | |
| | | | | रकमेत | | | |
| | | | | कमाल | | | |
| | | | | बसेसवर | | | |
| ११ डिर | स्प्ले बोर्ड | मुंबई मेट्रो (२ ए आणि ७) | सीबीसी | 30 | 40,00,000 | ९,००,००० | ५९,००,००० |
| | | (२५,००,०००/-) मुंबई मेट्रो लाईन - | (डीएव्हीपी) | दिवस, | | -, , | • • • • |
| | | १ (घाटकोपर ते वर्सोवा) LCD/LED | • | नमूद | | | |
| | | स्क्रिन आणि स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड | | रकमेत | | | |
| | | (२५,००,०००) | | कमाल | | | |
| | | | | डिस्प्ले | | | |
| | | | | बोर्ड वर | | | |

शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.४१/फ-११

| 1 | | 1 | | 1 00- | | 1 . | | |
|------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 92 | होर्डिंग्ज द्वारे प्रसिद्धी | । राज्याच्या प्रमुख । स्थानी | व्र मोठ्या जिल्ह्याच्या | विहित प्रक्रियेचा | ३० दिवसां | 40,00,000 | 9,00,000 | ५९,००,००० |
| | ત્રાહ્યા | (MITI | | अवलंब करून | च्या | | | |
| | | | | कार्यवाही | कालाव | | | |
| | | | | | धीत | | | |
| | | | | | | | | |
| 93 | राज्यातील | | अंतर्गत विहित प्रक्रियेचा | | | 40,00,000 | ९,००,००० | ५९,००,००० |
| | जिल्ह्यांमध्ये चित्ररथ द्वारे प्रसिद्धी | अवलब | करुन कार्यवाही | | | | | |
| | वार ग्राराखा | r | | | | 40,00,000 | 9,00,000 | 49,00,000 |
| 00 | naran man | । प्रदशनासह पुर । आयोजन | स्कार सोहळ्याचे | | | | ., , | |
| 98 | पुरस्कार सोहळा | | क्ता क्रमांक– ब) | | | 9२,४५,००,० | २,१७,६०,० | 98,६२,६०,०० |
| | | 797-110 | 14(11 97-1147- 4) | | | 00 | 00 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | एकूण (तव | त्ता क्रमांक अ + ब) | | | २०,८६,२५,००० | ३,६९,०२,५०० | २४,५५,२७,५०० |
| | | प्रशासकीय | खर्च (तक्ता अ + ब) | | | | | ६५,५९,५५० |
| | | | एकूण | | | | | २५,२०,८७,०५० |
| | | | | तक्ता – क | | | | |
| | | | विभागामार्फः | त करण्यात येणारी प्र | ग्र सिद्धी | | | |
| अ. | माध्यम | | तपश | तपशील एवू | | ग खर्च (रू) | जीएसटी | एकूण अंदाजित |
| क्र. | | | | | | | | रक्कम (सर्व |
| | 0:1- | 0 | | | | | 8,40,000 | करांसहित) |
| 9 | सर्च इंजिनसह डिजिट निर्मिती आणि देखभात | | | | | २५,००,००० | | २९,५०,००० |
| 2 | वृक्ष उत्पादक आणि वृ | | दोन मेळावा प्रति साम | गानिक वनीक्रमण | | (9 २, 00,000 | | /V 05 000 |
| २ | मेळावा (Exposure vis | | वृत्त ५.०० लक्ष प्रति वृ | | | 04,00,000 | | ८४,९६,००० |
| 3 | प्रशिक्षण आयोजन (अ) | | - | = | | 30,00,000 | | ३५,४०,००० |
| * |) | | कार्यालयीन कामकाज पद्धती, माहिती व तंत्रज्ञान संबंधी प्रशिक्षण आयोजन | | | V 0,00,000 | ५,४०,००० | 4 3,00,000 |
| | | | traimming from master trainers ₹. | | | | | |
| | | | ५०००० प्रति प्रशिक्षण प्रति १० प्रशिक्षण | | | | | |
| | | | प्रति वृत्त | | | | | |
| 8 | प्रशिक्षण आयोजन (ब) | | राज्याबाहेरील विविध संस्था जसे | | | 7,00,00,000 | 9८,००,००० | 9,9८,००,००० |
| | | | (कोईवतूर, विजापूर, केरळ, डेहराडून व इतर) येथे हाइटेक रोपवाटिका व रोपवने | | | | | |
| | | | इतर) यथ हाइटक रा यांचे संदर्भात प्रशिक्षण | | | | | |
| | जागतिक वन दिन या | шаал | • | | , | 3,00,00,000 | ७२,००,००० | V (n2 oo ooo |
| 9 | ५ जागतिक वन दिन यासारख्या महत्वाच्या दिवशी कार्यक्रमाचे | | २५,००,००/- प्रति परदेशी वृत्त, सामाजिक वनीकरण विभाग प्रति वत्त | | ' | 3,00,00,000 | 04,00,000 | ४,७२,००,००० |
| | आयोजन | reit in Ti | ५०,००,००/- व वन्य | | | | | |
| | | | पश्चिम) ५०,००,०००/ | | | | | |
| | | | अधिकारी (माहिती व | प्रसिद्धी वने) नागपूर | | | | |
| | | | व पुणे प्रत्येकी २५,०० | ,००० वर्षभर | | | | |
| ξ | ६ मंत्रालय देखभाल ऑट्रीयम | | | | | २५,००,००० | | २९,५०,००० |
| (9 | पंचायत वेलवण अमृत | | प्रति रोपवन ५०००० | | | २,५०,००,००० | 84,00,000 | २,९५,००,००० |
| | रोपवनामध्ये माहिती प | | | | | | | |
| | उद्यानाचे सुशोभीकरण | I | | | | | | |

| ۷ | हकश्राव्य निर्मिती - मा. मंत्री वने | ३ भाग निर्मिती साठी | ५२,५०,००० | ९,४५,००० | ६१,९५,००० |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | सांस्कृतीक कार्यक्रम व मत्स्य | | | | |
| | व्यवसाय यांची वनविषयक मुलाखत | | | | |
| | आणि वनविभागांशी संबंधित इतर | | | | |
| | बाबींविषयी २० मिनिटांचा कार्यक्रम | | | | |
| | (मालिका कलाकारांचा ॲंकर म्हणून | | | | |
| | सहभाग) | | | | |
| 9 | हकश्राव्य प्रसारण - एबीपी माझा, झी | ३ भाग प्रसारण (शा.मा. दर) | ९०,००,००० | १६,२०,००० | १,०६,२०,००० |
| | २४ तास, टीव्ही -९, सहयाद्री | | | | |
| | वाहिन्यांवर मा. मंत्री बने सांस्कृतीक | | | | |
| | कार्यक्रम व मत्स्य व्यवसाय यांची | | | | |
| | वनविषयक मुलाखत आणि | | | | |
| | वनविभागांशी संबंधित इतर | | | | |
| | बाबींविषयी २० मिनिटांचा कार्यक्रम(३ | | | | |
| | भागाच्या प्रसारण) | | | | |
| 90 | वन गीत, ईको क्लब गीत व प्रतिज्ञा | | ५०,००,००० | ९,००,००० | ५९,००,००० |
| | इ. व्यावसायिक निर्मिती | | | | |
| | एकूण (तक्ता उ | 90,98,40,000 | 9,९७,०9,००० | 9२,९१,५१,००० | |
| एकूण (तक्ता क्रमांक –अ+ब+क) | | | | | ३८,१२,३८,०५० |

- 3. प्रस्तुतचा खर्च महसूल व वन विभाग, मागणी क्र. सी-०७, प्रधान शिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव, (योजनांतर्गत) (०१) वनीकरण ००३, शिक्षण व प्रशिक्षण (००) (०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण-२६ जाहिरात व प्रसिध्दी (२४०६ ८५८९) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर अनुदानातून बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध तरतुदीच्या मर्यादेत आवश्यक व महत्त्वाच्या बाबींवर करण्यात यावा. सदरहू खर्च त्या त्या प्रयोजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधूनच भागविण्यात यावा.
- 8. प्रस्तुत शासकीय योजनांच्या प्रसिद्धीकरीता खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / आदेश / परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील तरतुदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच उक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय दिनांक २६ मार्च, २०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचे तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या तरतुदीनुसार तसेच अन्य अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतुदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया / CVC निर्देश / CAG मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.

- ५. उक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांचा प्रसार व प्रसिध्दी करण्यासाठी जाहिरात क्षेत्रातील विशिष्ट अनुभव व व्यवसायिक अर्हता असणाऱ्या जाहिरात संस्थांच्या सूचीस उक्त संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील जाहिरात संस्थांमार्फत उपरोक्त परि. क्र. २ येथे नमूद माध्यम आराखड्यामधील प्रसिध्दी संदर्भातील प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
- ६. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग चार, अनुक्रमांक-११ अन्वय विहित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामांचा खर्च करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदरची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे.
- ७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४१००११८६११९९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(वि. बा. इंगळे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
- २. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
- ३. मा. मंत्री (वने) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
- ४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
- ५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
- ६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- ७. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक)(११ वृत्त)
- ८. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६वृत्त)
- ९. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे)
- १०. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर
- ११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी

- १२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई- ४०० ०३२
- १३. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई
- १४. वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
- १५. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
- १६. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
- १७. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
- १८.निवडनस्ती फ-११.